

86

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-शिवपुरी

P-21-II-17

बाबू पुत्र श्यामा सहर  
निवासी- ग्राम जालिमपुर पनिहारा,  
तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी  
(म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर  
जिला - शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

श्री. विरुद्ध  
द्वारा आज दि. 02-11-17 को  
प्रस्तुत

श्री. विरुद्ध  
कलेक्टर कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक  
17/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 के विरुद्ध  
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष आवेदक द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम जालिमपुर पनिहारा के सर्वे नम्बर 448 रकवा 1.20 है0 एवं सर्वे नं. 522 रकवा 0.42 है0 कुल रकवा 1.62 है0 यह दोनो सर्वे नं. जोकि हल्का नं. 19 ग्राम पनिहारा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित है। उपरोक्त सर्वे नं. में अंकित रकवे को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र आवेदक कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किन्तु कलेक्टर

①  
Dehati  
02/04/17

P/na

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 21/दो/2017

जिला-शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--------------------------------------|
| 6-1-17           | <p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 17/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम जालिमपुर पनिहारा के भूमि सर्वे नं. 448 रकवा 1.20 है0 एवं सर्वे नं. 522 रकवा 0.42 है0 कुल रकवा 1.62 है0 जोकि हल्का नं. 19 पनिहारा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसे कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की इसी कार्यवाही के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।</p> <p>3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।</p> <p>4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन</p> |                                      |





पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसपर न्यायालय द्वारा विधिवत् विचार नहीं किया है, जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया था। कि भूमि का विक्रय सद्भावना पर आधारित है, क्योंकि वह उपरोक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात् उससे जो धनराशि प्राप्त होगी। तब वह अधिक उपजाऊ कृषि करेगा। तथा शेष राशि से अपने परिवार व बच्चों का ठीक प्रकार से पालन पोषण करेगा। भूमि विक्रय से प्राप्त राशि का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही शासन से नये पट्टे की मांग करेगा ऐसी स्थिति में उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किया जाकर आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

5- अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् विचार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। अन्त में निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6- उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्कों के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम जालिमपुर पनिहारा के भूमि सर्वे नं. 448 रकबा 1.20 है० एवं सर्वे नं. 522 रकबा 0.42 है० कुल रकबा 1.62 है० जोकि हल्का नं. 19 पनिहारा तहसील खनियाघाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें उल्लेख था कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् उससे जो धनराशि प्राप्त






होगी। तब वह अधिक उपजाऊ कृषि क्रय करेगा। तथा शेष राशि से अपने परिवार व बच्चों का ठीक प्रकार से पालन पोषण करेगा। भूमि विक्रय से प्राप्त राशि का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही शासन से नये पट्टे की मांग करेगा ऐसी स्थिति में उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। क्योंकि आवेदक को भूमि का गाईड लाईन के अनुसार पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा भूमि विक्रय किया जाना कपट पूर्वक नहीं है और न ही उसके साथ किसी भी प्रकार का छल किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्य पर सद्भाविक विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम जालिमपुर पनिहारा में स्थित भूमि सर्वे नं. 448 रकवा 1.20 है० एवं सर्वे नं. 522 रकवा 0.42 है० कुल रकवा 1.62 है० भूमि के विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

Rya

  
सदस्य